

प्रेस नोट दिनांक 27.04.19

1. दिनांक 26.04.19 को वादी उ०नि० श्री अजय कुमार सिंह थाना को०नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नसीर पुत्र मो० रफीक निवासी महाराजगंज थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर आदि 05 नफर अभि०गण द्वारा 2 ट्रको में निर्दयता पूर्वक गोवंशीय पशुओ को लादकर वध हेतु लाद कर ले जाते समय पकड़े जाना। ट्रक से 86 राशि मृत बछड़ा, 2 राशि मृत गाय व 02 राशि जिन्दा बछड़ा बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 334/19 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु कूरता अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 26.04.19 को वादी श्री संदीप कुमार पाण्डेय पुत्र राज नरायन पाण्डेय निवासी मानस नगर रायबरेली रोड उसरू थाना को०नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोटर साइकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्ति मोटर साइकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की मोबाइल (सैमसन जे-7) छीन कर भाग जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 335/19 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 26.04.19 को वादी उ०नि० श्री सत्येन्द्र पाल सिंह थाना पूराकलन्दर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. कांशीराम पुत्र जोखूराम 2. सोनू पुत्र जोखूराम निवासीगण फलवरिया थाना पूराकलन्दर, अयोध्या अभियुक्त कांशीराम के कब्जे से 180 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होना तथा अभि० सोनू का मौके से फरार हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 197/19 धारा 60(2) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 26.04.19 को वादी उ०नि० श्री मंजीत सिंह थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार पुत्र नान्हू निवासी बेनवा रेड़वरिया थाना गोसाईगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 128/19 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 26.04.19 को वादी उ०नि० श्री सचिन्द्र यादव थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश यादव पुत्र जयलाल यादव निवासी गनेशपुर बसौरा थाना गोसाईगंज अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 130/19 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 26.04.19 को वादी उ०नि० श्री शिवानन्द यादव थाना तारून, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश सिंह पुत्र शिव कुमार सिंह निवासी गयासपुर थाना तारून, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना तारून में मु०अ०सं० 94/19 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7. दिनांक 26.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राजेश यादव प्रभारी चौकी हरिंग्टनगंज थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संतोष कुमार पुत्र बदरू प्रसाद निवासी चिखड़ी थाना इनायतनगर, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 198/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

8. दिनांक 26.04.19 को वादी व0उ0नि0 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूर्य कुमार यादव उर्फ मुलायम यादव पुत्र राम राज यादव निवासी निमड़ी पिलाई थाना इनायतनगर, अयोध्या अभियुक्त द्वारा जिलाबदर नोटिश तामीला के उपरान्त घर पर मौजूद रहना। जिसके संबन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 201/19 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

9. दिनांक 26.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना खण्डासा, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हनुमन्त पुत्र कल्लू निवासी पाकड़पुर थाना खण्डासा, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 159/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 26.04.19 को वादी उ0नि0 श्री आशीष कुमार यादव थाना को0रूदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश कुमार पुत्र राम जियावन निवासी कोड़वा थाना को0रूदौली, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 100 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना को0रूदौली में मु0अ0सं0 143/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।